6

अध्याय

6 अध्याय

वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण और पारिस्थितिक प्रवाह का रखरखाव

6.1 प्रस्तावना

गंगा नदी कई दुर्लभ, लुप्तप्राय और खतरे में पड़ी प्रजातियों[75] के साथ, खतरे में पड़ी और संवेदनशील पारिस्थितिकी प्रणालियों[76] का घर है तथा 25,000 से अधिक फूलों और जीवजन्तु प्रजातियों को अषाय देती है। वन घाटियां विभिन्न उपयोगों और पारिस्थितिक आवश्यकताओं के लिए मीठे पानी का एक उच्च अनुपात प्रदान करती हैं। नदी तट के वन 'प्राकृतिक बफ़र्स' और 'जैविक फिल्टर' के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि वे नदी के गतिशील प्रवाह और इसकी पानी की गुणवत्ता के लिए पानी की शुद्धिकरण की सुविधा प्रदान करते हैं।

नदी का प्रवाह नदियों में जैव विविधता के मुख्य चालकों में से एक है, और एक नदी के प्रवाह व्यवस्था वर्ष के दौरान उच्च और निम्न प्रवाह की विविधता के साथ ही वर्षों में भिन्नता अपने पारिस्थितिक तंत्र पर बहुत प्रभाव डालती है।

एन.जी.आर.बी.ए. (2009) के उद्देश्यों में से एक नदी पारिस्थितिकी के लिए प्रासंगिक उपाय करना था। गंगा नदी (पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश (2016) में इसे और अधिक जोर दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि गंगा नदी को पारिस्थितिक रूप से स्थायी तरीके से प्रबंधित किया जाएगा, जल ग्रहण क्षेत्र में खो गई प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्जन्म और रखरखाव किया जाएगा और गंगा नदी बेसिन में जलीय और तपेदिक जैव विविधता को पुनर्जन्मित और संरक्षित किया जाएगा।

यह अध्याय एन.एम.सी.जी. द्वारा वनस्पति, जीव, पारिस्थितिक प्रवाह और गंगा नदी के विशेष गुणों के संरक्षण के लिए स्वीकृत कार्यक्रमों/परियोजनाओं से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित है।

---

[75] गंगा डॉल्फिन, ऊदबिलाव, गंभीर रूप से लुप्तप्राय घडियाल, मगर या भारतीय मार्श मगरमच्छ, एस्ट्रुअन मगरमच्छ और गंभीर रूप से लुप्तप्राय बटागुर्कुचुगण्ड सहित कम से कम 12 प्रजातियां ताजे पानी की कछुए सहित कई प्रजाजियां जैसे कि गंभीर रूप से लुप्तप्राय गंगा शार्क, गंगा स्टीगरे, महासेर, इल्सा और कई प्रजातियां स्थानिक मीठे पानी केकड़ों इसके अलावा, गंगा नदी बेसिन के पानी के पक्षियों और द्वीप घोंसले के शिकार पक्षियों का महत्वपूर्ण घटक है।

[76] ग्लेशियर, अल्पाइन घास का मैदान, विविध ऊपरी जंगल, तरई घास के मैदानों और दलदलों, नदी तट के जंगलों, मैंग्रॉव्स आदि।

6.2 फ्लोरा, जीव और पारिस्थितिक प्रवाह के लिए परियोजनाएं

एन.एम.सी.जी. ने ₹ 37.58 करोड़ की मंजूरी लागत के साथ वनस्पतियों, जीवों, पारिस्थितिक प्रवाह के रखरखाव और गंगा नदी के विशेष संपत्तियों के मूल्यांकन के संरक्षण के लिए छः परियोजनाओं (2015-16) को मंजूरी दी। विवरण तालिका 6.1 में दिए गए हैं।

तालिका 6.1: वनस्पति, जीव और पारिस्थितिक प्रवाह के लिए परियोजनाओं का विवरण

एजेंसियां	परियोजना	स्वीकृत लागत	जारी	(मार्च 2017) तक का व्यय	उपयोग (प्रतिशत में)
1. वन अनुसंधान संसथान (एफ.आर.आई.), देहरादुन	**(1)** गंगा के लिए वानिकी हस्तक्षेप (सितम्बर 2015)	1.18	1.18	1.19	100
2. भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यू.आई.आई), देहरादून	**(2)** जैव विविधता संरक्षण और गंगा कायाकल्प भाग-I जून 2016 **(3)** जैव विविधता संरक्षण और गंगा कायाकल्प भाग-II (सितम्बर 2016)	24.84	10.23	1.91	19
3. केन्द्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सी.आई.एफ.आर.आई), कोलकाता	(4) उचित संरक्षण और बहाली योजना के विकास के लिए गंगा नदी प्रणाली की मछली और मत्स्य पालन का आकलन (जुलाई 2015)	5.80	2.36	0.41	17
4. राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान	(5) गंगा नदी के विशेष गुणों को समझने के लिए जल	5.00	4.50	3.75	83

	(एन.ई.ई.आर. आई.), नागपुर	गुणवत्ता और तलछट विश्लेषण का आकलन (मार्च 2015)				
5.	राज्य वन विभाग (एस.एफ.डी.), बिहार	(6) राष्ट्रीय डॉल्फिन सर्वे (नवंबर 2015)[77]	0.76	0	0	0

डब्ल्यू.आई.आई. और सी.आई.एफ.आर.आई. द्वारा किए गए परियोजनाओं के मामले में फंड की उपयोगिता की सीमा कम थी, जो क्रमश: 19 प्रतिशत और 17 प्रतिशत थी। पांच परियोजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगे के पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

6.3 गंगा के लिए वानिकी प्रबंधन (एफ.आई.जी.)

एन.एम.सी.जी. ने ₹ 1.18 करोड़ के परिव्यय पर फरवरी 2015 में "गंगा के लिए वानिकी प्रबंधन (एफ.आई.जी.)" की डी.पी.आर तैयारी के लिए वन अनुसंधान संस्थान (एफ.आर.आई.) को एक परियोजना की मंजूरी दी। एफ.आर.आई. को वन जलग्रहण क्षेत्र के उत्थान/सुधार के लिए संभावनाओं को पहचानना और उपयूक्त स्थानीय प्रजातियों के माध्यम से इसका उपचार करना था। एफ.आर.आई. ने डी.पी.आर. को तैयार कर (मार्च 2016) को एफ.आई.जी. को जमा किया।

एन.एम.सी.जी ने एफ.आई.जी. के लिए एफ.आर.आई. द्वारा तैयार डी.पी.आर को (मार्च 2016) में मंजूरी दी, जिसमें चार घटक - प्राकृतिक भूदृश्य निर्माण, कृषि भूदृश्य निर्माण, शहरी भूदृश्य निर्माण शामिल है, और पांच मुख्य गंगा स्टेम राज्यों अर्थात् बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वयन के लिए संरक्षण गतिविधियां, चरण-1 के तहत (2016-21) शामिल हैं।

हमने एन.एम.सी.जी. द्वारा निष्पादित घटकों के कार्यन्वयन में निम्नलिखित को देखा:

6.3.1 राष्ट्रीय परियोजना सुविधा यूनिट की गैर-स्थापना

एफ.आर.आई. को दी गयी परियोजना ने नदी के मैदानों के संरक्षण के लिए ज्ञान प्रबंधन और क्षमता निर्माण को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के भागीदार संगठन के रूप

[77] एन.एम.सी.जी. द्वारा ऑडिट को प्रदान किए गए परियोजनाओं की सूची में परियोजना का उल्लेख नहीं किया गया था। हालांकि, एस.पी.एम.जी., बिहार के ऑडिट के दौरान, स्थिति का पता लगाया गया था। समूह सचिवों (2014) द्वारा प्रस्तुत गंगा पुनर्जीवन के लिए योजना में भी यह पाया गया था।

में कार्य करने के लिए नेशनल परियोजना सुविधा यूनिट की (एन.पी.एफ.यू.) स्थापना करने की भी परिकल्पना की। हालांकि, एफ.आर.आई. द्वारा किए गए प्रस्ताव के बावजूद एन.पी.एफ.यू. स्थापित नहीं किया गया था। जुलाई 2017 तक प्रस्ताव के संबंध में एन.एम.सी.जी. ने अभी तक इसकी पुष्टि और संवाद नहीं किया था।

एन.एम.सी.जी. (अगस्त 2017) ने लेखापरीक्षा अवलोकन के लिए विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

6.3.2 गंगा के अन्य सहायक नदियों पर योजना का गैर-प्रतिकृति

कार्यान्वयन योजना के निष्पादन के तीसरे वर्ष के अंत से गंगा की सहायक नदियों पर योजना (एफ.आई.जी.) को दोहराया जाना था। हालांकि, एन.एम.सी.जी ने अतिरिक्त साइटों राज्यों में/योजनाबद्ध प्रयासों की प्रतिकृति और स्केलिंग के लिए कोई भी योजना आरंभ नहीं की। यद्यपि एन.एम.सी.जी. ने (जलाई 2015) "यमुना के लिए वानिकी प्रबंधन (एफ.आई.वाई.)" के डी.पी.आर तैयार करने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए एफ.आर.आई से अनुरोध किया था, एन.एम.सी.जी. ने एफ.आर.आई. को काम नहीं दिया।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (मई 2017) कि धन की अनुपलब्धता के कारण; यह कार्यक्रम को लागू नहीं कर सका और क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के माध्यम से धन आवंटन के लिए एम.ओ.ई.एफ. & सी.सी. से अनुरोध किया। हालांकि, अगस्त 2017 तक एम.ओ.ई.एफ.&सी.सी. द्वारा कोई निधि आवंटित नहीं की गई थी।

यह उल्लेखनीय है कि 2015-16 और 2016-17 के अंत में एन.एम.सी.जी. के पास अधिशेष फंड उपलब्ध थे, जैसा कि इस रिपोर्ट के पैरा 2.2.1 में दर्शाया गया है।

6.3.3 परियोजना संचालन समिति की भूमिका

एन.एम.सी.जी. ने डी.पी.आर. के क्रियान्वयन की निगरानी और संचालन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर (अगस्त 2016) प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी (पी.एस.सी.) का गठन किया। हालांकि, बैठक का विवरण लेखापरीक्षा में नहीं दिया गया था।

डी.पी.आर. की अपर्याप्त कवरेज, राष्ट्रीय परियोजना सुविधा यूनिट की गैर-स्थापना, गंगा के अन्य सहायक नदियों पर योजना का गैरप्रतिकृति, परियोजना संचालन समिति की भूमिका के बारे में एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि यह अनुमोदित जैव विविधता घटक में उपयुक्त फंड की गैर उपलब्धता की वजह से था।

6.3.4 राज्यों द्वारा वनीकरण परियोंजनाएँ

एफ.आई.जी. के डी.पी.आर. के अनुसार, वानिकी प्रबंधन, पांच राज्यों के राज्य वन विभाग (एस.एफ.डी.एस.) द्वारा किए जाने थे जिनमें बिहार, झारखंड, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। इन राज्यों में वानिकी प्रबंधन को पूरा करने के लिए हमने निम्न को देखा:-

6.3.4.1 निधि का गैर उपयोग और काम की धीमी गति से प्रगति

एन.एम.जी.जी. ने पांच राज्यों को ₹ 50.63 करोड़ (अनुमानित लागत का 2.21 प्रतिशत) की मंजूरी दी (जुलाई और सितम्बर 2016) और मार्च 2017 तक ₹ 30.79 करोड़ (61 प्रतिशत) का खर्च किया गया और एन.एम.सी.जी. द्वारा परियोजनाओं को मंजूरी देने में देरी के कारण ₹ 9.71 करोड़ (24 प्रतिशत) अप्रयुक्त रहा। राज्यवार की बचत 11 प्रतिशत (झारखंड) से लेकर 48 प्रतिशत (पश्चिम बंगाल) तक थी। बिहार में ₹ 1.21 करोड़ का अतिरिक्त व्यय था।

परियोजना अनुसूची पैरा 19 (डी.पी.आर., वॉल्यूम-1) के अनुसार, एस.एफ.डी. को सफल वृक्षारोपण कार्य के लिए आगामी मानसून के मौसम में प्रारंभिक और वास्तविक बागान गतिविधियों की शुरूआत को सुनिश्चत करना था। डी.पी.आर. के अनुसार, गंगा के लिए वानिकी प्रबंधन (एफ.आई.जी.) (चरण-1) को ₹ 2,293.73 करोड़ के अनुमानित लागत पर लागू किया गया था।

राज्य-वार टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:

क. बिहार को छोड़कर सभी राज्यों ने अग्रिम कार्यों को पूरा नहीं किया और वृक्षारोपण में कमी की सूचना दी।

ख. झारखंड में, अग्रिम कार्य का 49 प्रतिशत (355 हेक्टेयर में से 174) पूरा हो गया था।

ग. उत्तर प्रदेश (इलाहाबाद) में, बागान के काम की प्रगति केवल 67 प्रतिशत थी।

घ. उत्तराखंड में, कोई रोपण नहीं किया गया और उन्नत काम की प्रगति 97 प्रतिशत थी।

मंजूरी में विलंब के कारण (मानसून सीजन के दौरान), एस.एफ.डी.एस. उसी वर्ष पेड़ों के वृक्षारोपण का काम पूरा नहीं कर सका क्योंकि मानसून मौसम से पहले गड्ढों की खुदाई जैसे अग्रिम कार्यों को समय पर वृक्षारोपण को सक्षम करने के लिए पूरा नहीं किया गया था।

6.3.4.2 अपर्याप्त कवरेज

डी.पी.आर. के मुताबिक, एफ.आई.जी में (i) प्राकृतिक, (ii) कृषि और (iii) शहरी भूदृश्य और (iv) संरक्षण गतिविधियां थीं। राज्यों में पहचानित जिलों/डिवीजनों में औषधीय और स्थानीय/उचित प्रजातियां लगाई जानी थीं। राज्यवार टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

क. उत्तराखंड के नौ डिवीजनों[78] में एफ.आई.जी. के लिए संरक्षण, हस्तक्षेप की कोई योजना नहीं थी।

ख. बिहार और झारखंड में, कृषि और शरही लैंडस्केप के लिए हस्तक्षेप नहीं किए गए थे।

ग. बिहार में, संरक्षण और समर्थन गतिविधियों का संचालन नहीं किया गया था।

घ. उत्तराखंड में प्राकृतिक परिदृश्य, कृषि परिदृश्य शहरी भदृश्य और संरक्षण के हस्तक्षेप में कमी क्रमश: 57 प्रतिशत (21 प्रभागों में से 12), 54 प्रतिशत (13 प्रभागों में से सात), 71 प्रतिशत (14 प्रभागों में से 10) और 42 प्रतिशत (12 प्रभागों में से पांच) थी।

ङ. उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में केवल पांच[79] (21 पौधों में से) प्रजातियों में और वाराणसी में केवल दो[80] (आठ पौधों में से) प्रजातियों को डी.पी.आर. में निर्दिष्ट प्रजातियों (12 नंबर) के अनुसार लगाया गया था।

हमने पाया कि लक्ष्य की कम उपलब्धि वास्तव में डिवीजनों को धन को देरी से जारी करने का एक परिणाम था।

6.4 जीवों का संरक्षण

एन.एम.सी.जी. ने गंगा नदी के लिए बहु-हितधारकों को शामिल करते हुए विभिन्न घटकों वाला विज्ञान आधारित जलीय प्रजातियों की पुनर्बहाली योजना विकसित करने हेतु "जैव विविधता संरक्षण और गंगा पुनरुद्धार" के लिए दो परियोजनाओं, कुल लागत ₹ 24.84 करोड़ पर भारत के वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यू.आई.आई.), देहरादून को क्रमश: जून 2016 और सितम्बर 2016 में प्रत्येक को तीन साल तक के लिए मंजूरी दी।

- डब्ल्यू.आई.आई. ने क्रमश दिसम्बर 2016 और मार्च 2017 के अंत तक परियोजना के भाग 1[81] और भाग 2[82] के तहत 26[83] और 70[84] परियोजना कर्मियों को

[78] अलकनंदा मृदा संरक्षण; गोपेश्वर मृदा संरक्षण; सिविल सोयाम और गढ़वाल वन प्रभाग; पौडी; मसूरी; देहरादून; नरेंद्र नगर; गंगोत्री नेशनल पार्क; और उत्तरकाशी वन विभाग।

[79] साइजीगियमकुमिनी, अजादिराचलेनडिका, डाल्बर्गियासिसोओ, फिक्स्सेरिलीगियो और देलोनिक्सरीजिया।

[80] स्वाएटेआमाहग्नी और देलोनिक्सरीजिया।

नियुक्त करना था। हालांकि, डब्ल्यू.आई.आई. ने दो परियोजना वैज्ञानिकों, 10 प्रोजेक्ट एसोसिट्स, 16 प्रोजेक्ट फेलो, एक डाटाबेस ऑपरेटर, पांच परियोजना सहायक और चार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कार्मिक यानि 38 कर्मचारियों को काम में लगाया और बाकी लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी थी।

- परिजोजना के पहले वर्ष के पहले छमाही में डब्ल्यू.आई.आई. को हितधारक विश्लेषण करना था। हालांकि, डब्ल्यू.आई.आई. द्वारा परामर्श केवल उत्तर प्रदेश में (जून-दिसंबर 2016) आयोजित किए गए थे।

एन.एम.सी.जी. ने तथ्य (अगस्त 2017) को स्वीकार किया और कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में हितधारक परामर्श शुरू किया गया है।

- हमने देखा कि डब्ल्यू.आई.आई. द्वारा पहल करने वाली टीम के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करने में विलंब हुआ और पहले वर्ष के पहले छमाही के भीतर पाठ्यक्रम को मान्य और कार्यान्वित नहीं किया था। हमने यह भी देखा कि लखनऊ और मेरठ को छोड़कर अन्य स्थानों पर कोई प्रशिक्षण नहीं आयोजित किया गया था। डब्ल्यू.आई.आई. ने कहा (अप्रैल 2017) कि प्रशिक्षण की प्रक्रिया जून-जुलाई 2017 से प्रभावी शुरू की जाएगी।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि भविष्य में परियोजना गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए पहल करने वाली टीम उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए बनाई गई है। एक बार अन्य राज्यों से संचार प्राप्त हो जाने के बाद, आगे के मानसून के बाद एक संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

6.5 पारिस्थितिक प्रवाह का रखरखाव

अविरल धारा या निरंतर प्रवाह[85] गंगा नदी की पौष्टिकता का बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण है। एन.जी.आर.बी.ए. अधिसूचना ने (2009) "पानी की गुणवत्ता और प्रयावरण

---

81 एक्वा जीवन संरक्षण निगरानी केंद्र क्षमता निर्माण और बचाव और पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना

82 जलीय प्रजातियों की बहाली, समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रमों और जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रकृति व्याख्या और शिक्षा की योजना बनाना

83 एक परियोजना वैज्ञानिक, दो परियोजना सहयोगी, एक बचाव और पुनर्वास अधिकारी, छह परियोजना फैलो और अन्य स्टाफ

84 तीन परियोजना वैज्ञानिक, नौ परियोजना सहयोगी, परियोजना 15 फैलो और अन्य स्टाफ

85 पानी का प्रवाह अर्थात, तलछट,-पोषक तत्वों और प्रवाह के अन्य प्राकृतिक घटकों के साथ - गंगा नदी के नेटवर्क में निरंतर और पर्याप्त है। अवीरल धारा को बनाए रखने के लिए दोनों अनुदैर्ध्य संपर्क और नदियों में पर्याप्त प्रवाह आवश्यक हैं।

की दृष्टि से स्थायी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंगा नदी में पारिस्थितिक प्रवाह को बनाए रखने" लिए तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।

गंगा नदी (पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश 2016 के अनुसार, गंगा नदी में पारिस्थितिक प्रवाह[86] को बनाए रखने की तत्काल आवश्यकता है ताकि, इसकी पारिस्थितिक अखंडता को बहाल करले के लिए पूरी लंबाई में निरंतर प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके जिससे वह स्वयं को रिजुविनेट करने में सक्षम बन सके। इसमें जोर दिया गया है कि हर राज्य सरकार पानी का पर्याप्त प्रवाह बने रखने का प्रयास करेगी और सभी संबंधित प्राधिकारी समयबद्ध तरीके से उचित कार्यवाही करेंगे।

एन.एम.सी.जी. ने इंजीनियर मोड़ या भंडारण के कारण जल प्रवाह की असंतुलन के स्थानों की पहचान नहीं की और इसके किसी भी उपचारात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की।

एन.एम.सी.जी. ने गंगा नदी के लिए विभिन्न बिंदुओं पर पारिस्थितिक - प्रवाह के परिमाण का निर्धारण नहीं किया। इसने पारिस्थितिक प्रवाह और पानी की गुणवत्ता के बीच संबंधों का आकलन भी नहीं किया। यह केन्द्रीय जल आयोग से 2015-17 की अवधि के लिए विभिन्न मौसमों के दौरान प्रवाह पर डाटा प्राप्त करने की प्रक्रिया में था।

इस प्रकार एम.एम.सी.जी. ने न तो विभिन्न बिंदुओं पर पारिस्थितिक प्रवाह के निर्धारण के लिए मानकों को तैयार किया और न ही प्रवाह को प्रभावित करने वाले विशेष बाधाओं की पहचान की।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि पारिस्थितिक प्रवाह के परिमाण की मात्रा का ठहराव एक जटिल मुद्दा है जो पूरे गंगा बेसिन में सिंचाई, औद्योगिक, बिजली और सामाजिक क्षेत्र से लेकर कई प्रतिस्पर्धी हितधारकों पर बहु आयामी प्रभाव डालता है। सभी हितधारकों के संदर्भ में उचित/तर्कसंगत पर्यावरण प्रवाह को अंतिम रूप देना और साथ ही नदी में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के द्वारा प्रदूषण को दूर करने के लिए संबोधित करना सभी राज्यों और हितधारकों के साथ व्यापक आधार पर परामर्श की आवश्यकता है।

जबकि हम मानते हैं कि पारिस्थिक प्रवाह परिमाण एक जटिल कार्य है, तद्नुसार उचित रणनीतियों को अपनाने के लिए समयबद्ध तरीके से संबोधित किया जाना चाहिए। हालांकि, एन.एम.सी.जी. ने न तो पारिस्थितिकीय प्रवाह निर्धारित किया है और न ही सुधारात्मक

[86] नदी के प्रवाह की प्राकृतिक पद्धति की नकल करने वाली एक नदी में प्रवाह का एक नियम है, जिससे नदी कम से कम प्राकृतिक कार्यों जैसे कि पानी के परिवहन और उसके परिवेश से प्राप्त ठोस और इसकी संरचनात्मक अखंडता, कार्यात्मक एकता रखना और लोगों की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आजीविका गतिविधियों को बनाए रखने के साथ साथ जैव विविधता को अपना सकती हैं।

कार्यों की शुरूआत के लिए कारणों से जल प्रवाह की असंतुलन के स्थानों की पहचान भी नहीं की।

6.6 गंगा नदी के विशेष गुण

एन.एम.सी.जी. ने (मार्च 2015) 15 महीनों के निर्धारित समय अवधि में पूरा करने के लिए "गंगा नदी के विशष गुणों को समझने के लिए जल गुणवत्ता और तलछट विश्लेषण का आकलन" के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एन.ई.ई.आर.आई.), नागपुर को पांच करोड़ रूपये मंजूर किए।

एन.ई.ई.आर.आई. को हर तिमाही के पांचवें दिन तक एन.एम.सी.जी को त्रैमासिक भौतिक प्रगति रिपोर्ट (क्यू.पी.पी.आर.) जमा करने की आवश्यकता थी। हालांकि, एन.ई.ई.आर.आई. ने कोई भी क्यू.पी.पी.आर. जमा नहीं किया था। क्यू.पी.पी.आर. की अनुपस्थिति में परियोजना की प्रगति पर नजर रखने के लिए एन.एम.सी.जी के पास कोई तंत्र नहीं था। एन.ई.ई.आर.आई. ने (मई 2017) कहा कि ठोस परिणाम पाने के लिए, क्षेत्रीय यात्रा, पानी के नमूनों का संग्रह, पानी के नमूने का विश्लेषण, डेटा विश्लेषण और व्याख्या की तैयारी के लिए काफी समय की आवश्यकता थी।

एन.एम.सी.जी. (अगस्त 2017) लेखापरीक्षा अवलोकन के साथ सहमत था।

इसके अलावा, एन.ई.ई.आर.आई. को गंगा नदी को फिर से जीवंत करने के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए अलग से रूपरेखा विकसित करना था। हालांकि एन.ई.ई.आर.आई. ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में विशिष्ट सिफिरिशें की, लेकिन इनसे किसी अलग ढ़ाचा का खुलासा नहीं हुआ।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि एन.ई.ई.आर.आई. ने हाल ही में केंद्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। सी.डब्ल्यू.सी. के आधार पर टिप्पणी की गई है कि ढांचे को अद्यतन किया गया है। एन.ई.ई.आर.आई. अभी भी सी.पी.सी.बी. और अन्य संगठनों से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था। सभी संगठनों से प्रतिक्रिया मिलने पर रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा और तद्नुसार रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

जबकि हम इस उत्तर से सहमत हैं कि सभी हितधारकों को गंगा पुनरूत्थान ढांचा में शामिल होना चाहिए, एन.ई.ई.आर.आई. और एन.एम.सी.जी. को परियोजना के पूरा होने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करना चाहिए और तद्नुसार इसकी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए।

6.7 निष्कर्ष

प्रदूषण की कमी और नदी के अग्रभाग के विकास के लिए परियोजनाओं की तुलना में वनस्पति, जीव और नदी के प्रवाह के संरक्षण के लिए परियोजनाओं की संख्या बहुत सीमित थी। गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना के आधार पर गंगा पुनरुद्धार के लिए दीर्घावधि कार्य योजना का अभी तक अंतिम रूप दिया जाना था। जैसे की, एन.एम.सी.जी. के पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण प्रयासों की शुरूआत बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में थी और यह कार्यक्रम क्रियान्वयन में कमी को फैल कर रहा है। वनों के प्रबंधन, जैव विविधता के संरक्षण के लिए जमीन पर कवरेज और पारिस्थितिक प्रवाह के रखरखाव के अध्ययन के लिए किसी भी परियोजना की मंजूरी के लिए कम धन देना थी।

6.8 अनुशंसाएँ

हम यह अनुशंसा करते हैं कि

(i) एन.एम.सी.जी. गंगा नदी पारिस्थितिकी को बनाए रखने और टिकाऊ और समयबद्ध तरीके से वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए कार्यक्रमों/योजनाओं से खतरों की पहचान कर सकता है।

(ii) एन.एम.सी.जी. अभियांत्रिकी परिवर्तन या भंडारण के कारण गंगा जल नदी के प्रवाह की असंतत्ता की पहचान करके अविरल धारा के मामले को प्राथमिकता दे सकता है ताकि पारिस्थितिक प्रवाह को निर्धारित और बनाए रखा जा सके।